

## अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ ———/ 18, लखनऊ : दिनांक 06 : नवम्बर-2018,

-:: आदेश ::-

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी के पत्रांक-795/18 दिनांक 24.07.18, पत्रांक-880/18 दिनांक 29.08.18 तथा पत्रांक-1068/2018 दिनांक 27.10.2018 पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित निम्नलिखित 05 द्वितीय अपीलों की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 10.12.18 व 11.12.18 के लिए श्री बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी, श्री विवेक कुमार दुबे, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम कानपुर तथा श्री अशोक कुमार गुप्ता, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 कानपुर को सम्मिलित करते हुए झाँसी में पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

क्र0सं0	अपील संख्या	फर्म का नाम	धारा/नियम
1	05/94	मै0 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0	नियम-41(7)
2	151/94	स0ब0-----उक्त-----	नियम-41(7)
3	280/94	मै0-----उक्त-----	नियम-41(7)
4	172/95	मै0-----उक्त-----	नियम-41(7)
5-	286/95	स0ब0-----उक्त-----	नियम-41(7)

तदनुसार सम्बन्धित पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0-06.11.18

( प्रेम कला सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/2282/2018, तददिनांकित  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-झाँसी।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम /तृतीय, कानपुर
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।